### मुफ़्त कानूनी सहायता

आपको मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। सहायता में नीचे लिखीं सेवाएं शामिल होती हैं :

• जिस निर्णय से आप संतुष्ट नहीं हैं, उसके विरुद्ध अपील दर्ज करना;

• अपील प्रक्रिया में आपके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना।

अगर आपके पास कोई वकील या कानूनी सलाहकार नहीं है तो आपको मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। यदि उस फैसले के तहत आपकी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रद्द होती है, तो आपको आय मानदंड भी पूरा करना होगा, जैसा कि सामाजिक सहायता अधिनियम में लिखा गया है, यानी आपकी आय, सामाजिक सहायता पर लिखे 12 मार्च 2004 के आर्टिकल 8 के एक्ट 12 के मुताबिक आय मानदंड के 100% से अधिक नहीं हो सकती।

मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए आपको लिखित वकालतनामा देना होगा। सहायता किसी वकील, कानूनी सलाहकार या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती है जो एक वकील या कानूनी सलाहकार नहीं है, लेकिन गैर-सरकारी संगठनों में काम करता है, जिसके पास मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का अधिकार है।

मुफ्त कानूनी सलाह प्रदान करने वाले **संगठनों, वकीलों और कानूनी सलाहकारों की लिस्ट सहित** ज़्यादा जानकारी यहां पाई जा सकती है: https://www.gov.pl/web/udsc/bezplatna-pomoc-prawna

### स्वैच्छिक वापसी में सहायता

**सहायता का अधिकार किसे है**

यदि आप अपनी मर्ज़ी से अपने मूल देश या किसी ऐसे देश में लौटना चाहते हैं जहां आपके पास दाखिल होने का अधिकार है, तो आप पॉलिश अधिकारियों की सहायता का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपके प्रशासनिक केस में निम्नलिखित में से कोई फैसले आता है, तो आपको अपनी मर्ज़ी से वापसी में सहायता के लिए एक अर्ज़ी दायर करनी होगी:

• कार्यवाही बंद करने पर या

• रिफ्यूजी का दर्जा देने से इनकार और सहायक सुरक्षा देने से इनकार करने पर या

• फ़ाइल को अस्वीकार्य मानने पर,

साथ ही उन मामलों में भी जहां अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपका आवेदन औपचारिक कारणों से प्रोसेस ही नहीं हो पाया था।

**सहायता में क्या शामिल होता है**

स्वैच्छिक वापसी में सहायता में निम्नलिखित शामिल हैं:

* यात्रा का खर्च;
* आवश्यक वीजा और अनुमतियों के साथ-साथ यात्रा दस्तावेज प्राप्त करने से संबंधित प्रशासनिक फीस;
* यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान खाने का खर्च (यदि वह सामाजिक सहायता के तहत कार्यालय प्रमुख द्वारा कवर न किया गया हो);
* यात्रा से पहले रहने का खर्च (यदि वह सामाजिक सहायता के तहत कार्यालय प्रमुख द्वारा कवर न किया गया हो);
* मेडिकल देखभाल का खर्च (यदि वह सामाजिक सहायता के तहत कार्यालय प्रमुख द्वारा कवर न किया गया हो);
* उस इकाई द्वारा स्वैच्छिक देखभाल के इंतज़ाम का खर्च जिसके वैधानिक दायित्वों में स्वैच्छिक रिटर्न का इंतज़ाम करना शामिल है;
* सुरक्षित और मानवीय वापसी सुनिश्चित करने से संबंधित अन्य खर्चे।

आप हर 2 साल में एक बार इस तरह से फाइनेंस की गई स्वैच्छिक रिटर्न में सहायता का उपयोग कर सकते हैं। मानव तस्करी के शिकार और बड़ों की निगरानी के बिना नाबालिग ऐसी सहायता का अधिक बार उपयोग कर सकते हैं।

**सहायता के लिए आवेदन कैसे करें:**

**पॉलिश बॉर्डर गार्ड के कमांडर इन चीफ** द्वारा स्वैच्छिक वापसी का प्रबंध किया जाता है। अगर आपको इन पर फैसला प्राप्त हुआ है:

• कार्यवाही बंद करने पर या

• रिफ्यूजी का दर्जा स्वीकार करने से इंकार करने और सहायक सुरक्षा स्वीकार करने से इनकार करने पर

और आप विदेशियों के लिए कार्यालय के प्रमुख द्वारा प्रदान की जाने वाली सामाजिक सहायता और मेडिकल देखभाल से लाभ लेते हैं, तो आपको **विदेशियों के कार्यालय के प्रमुख** के पास स्वैच्छिक वापसी के लिए सहायता का आवेदन दाखिल करना चाहिए। विदेशियों के लिए कार्यालय के सामाजिक सहायता विभाग के पते पर दस्तखत किया हुआ आवेदन भेजें (डाक या कार्यालय के e-PUAP बॉक्स के माध्यम से) या विदेशियों के कार्यालय की रजिस्ट्री में वहां के खुले रहने के समय के दौरान, व्यक्तिगत रूप से अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवेदन फाइल करें, वारसॉ में जिसका पता है ul. Taborowa 33.

अन्य मामलों में, स्वैच्छिक वापसी में सहायता प्रदान करने के लिए आवेदन, सीमा रक्षक चौकी के कमांडर या आपके निवास स्थान के लिए वैध सीमा रक्षक के कमांडर के पास दायर किया जाना चाहिए।

**आवेदन दाखिल करने की समय सीमा**

आवेदन इस समय के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए:

* **कार्यवाही बंद करने का निर्णय** फाइनल होने के दिन के बाद **5 दिन**;
* **अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवेदन के संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं करने के निर्णय की सूचना** प्राप्त होने के अगले दिन के बाद **5 दिन**;
* स्वैच्छिक वापसी के लिए 30 दिन की समय सीमा समाप्त होने के **7 दिन** पहले यदि आपको **शरणार्थी का दर्जा प्राप्त करने से इंकार करने और सहायक सुरक्षा प्राप्त करने से इनकार करने या आवेदन को अस्वीकार्य मानने का निर्णय** प्राप्त हुआ है।

**याद रखिए!:** यदि आप समय सीमा के भीतर आवेदन दायर करने में विफल रहते हैं, तो पॉलिश बॉर्डर गार्ड के कमांडर इन चीफ इसे प्रोसेस नहीं करेंगे।